भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1400

उत्तर देने की तारीख : 29.07.2025

अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण

1400. डॉ. अमर सिंह:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मंत्रालय ने कल्याण सुनिश्चित करने और नीतियों की निगरानी एवं मूल्यांकन, समावेशी विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और कमजोर समूहों के लिए सहायता को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): जी, हां। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न समावेशी विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है, साथ ही यह दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के पीड़ितों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसी प्रकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न समावेशी विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालयों ने समावेशी विकास के लिए जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने और कमज़ोर समूहों के लिए सहायता को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न योजनाओं की गहनता से जांच करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस, प्रिंट मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रदर्शनियों/मेलों के माध्यम से गतिविधियों और कार्यक्रमों का प्रचार करके सूचना का प्रसार करना ताकि लक्षित समूहों के बीच

बीच जागरूकता पैदा की जा सके और उन्हें विशेष रूप से ऑनलाइन पोर्टल एवं आवेदन प्रक्रियाओं, प्रत्यक्ष हितलाभ अंतरण विधियों के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

(ii) परियोजना अनुवीक्षण इकाइयों के माध्यम से वास्तविक निरीक्षण, औचक निरीक्षण और पोर्टल पर निरीक्षणों को प्रकाशित करने तथा उनके तुरंत अनुवर्तन द्वारा योजनाओं के आउटपुट और परिणामों का केंद्रित अनुवीक्षण करना।

(iii) राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा भेजी गई तिमाही/वार्षिक प्रगति रिपोर्टों के माध्यम से योजनाओं के निष्पादन की निगरानी की जाती है। योजनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए, ब्यूरो प्रमुखों को विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। अधिकारियों के राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के क्षेत्र दौरों के दौरान अवरोधों की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय करने के लिए चर्चा की जाती है।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मंत्रालयों की योजनाओं के लिए प्रदान किए गए आवंटन का उपयोग किया जा रहा है, सचिव स्तर पर कार्यक्रम प्रभागों के साथ नियमित रूप से वित्तीय और वास्तविक कार्य-निष्पादन की समीक्षा की जाती है।

(v) चयनित उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं की मंत्री स्तर पर नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

(vi) मंत्रालय राज्य समाज कल्याण मंत्रियों और राज्य कल्याण सचिवों के सम्मेलन भी आयोजित करते हैं जिनमें सभी योजनाओं की समीक्षा की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने निगरानी तंत्र को मजबूत करने की भी सलाह दी जाती है। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के साथ समय-समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित किए जाते हैं।

(vii) सभी स्तरों पर निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की निगरानी हेतु ऑनलाइन प्रणाली भी तैयार की गई है।

(viii) मंत्रालय समय-समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन एजेंसियों के माध्यम से मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करते हैं ताकि यह जांच की जा सके कि योजनाओं का लाभ लक्षित समूहों तक पहुंच रहा है या नहीं।

*****